भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2558

08अगस्त, 2022 को उत्तर के लिए

'सेल' का क्षमता विस्तार

2558. श्री जी.वी.एल. नरसिंहा राव:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2030 तक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की इस्पात उत्पादन क्षमता और इसकी विस्तार योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) 'सेल' द्वारा आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रम के लिए वर्ष 2030 तक अपनी क्षमता 50 मिलियन टन प्रतिवर्ष करने हेतु कुल कितना निवेश प्रस्तावित है;

(ग) उक्त विस्तार के लिए निधि के स्त्रोत क्या हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त आधुनिकीकरण और विस्तार योजना पर अब तक कितना संचयी व्यय किया गया है;

(ड.) उपर्युक्त विस्तार के लिए सेल द्वारा किए गए भूमि बैंक अध्ययन के निष्कर्ष क्या हैं;

(च) क्या भूमि की अनुपलब्धता, क्षमता विस्तार के लिए एक चुनौती बन गई है;

(छ) क्या सेल को विशाखापत्तनम स्टील संयंत्र, आरआईएनएल को खरीदने की अनुमति है या आरआईएनएल को खरीदने के लिए बोली में भाग लेने की अनुमति है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)**

(क)और(ख): स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की वर्तमान कच्चा इस्पात उत्पादन क्षमता 20.63 मिलियन टन प्रतिवर्ष है। वर्ष 2030 तक कच्चे इस्पात उत्पादन को300 मिलियन टन तक बढ़ाने की परिकल्पना के अनुसार, सेल ने वर्ष 2030-31 तक अपने कच्चे इस्पात उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 35 मिलियन टनप्रति वर्ष तक करने की योजना बनाई है।

कच्चे इस्पात की करीब 35 मिलियन टन प्रतिवर्ष की क्षमता हासिल करने के लिए सेल द्वारा प्रस्तावित निदर्शी निवेश का मान लगभग 1,10,000 करोड़ रुपए होगा।

(ग)और(घ): सेल की क्षमता के विस्तार के लिए परियोजनाओं का वित्तपोषण, ऋण और इक्विटी के समायोजन के माध्यम से किया जाता है जो सामान्य रूप से 1 :1 के अनुपात में होता है। परियोजना को निष्पादन के चरणतक पहुंचने से पहले प्रारंभिक चरण से गुजरना होता है जहां व्यय किया जाता है। चूंकि ये परियोजनाएं प्रारंभिक स्तर पर है अत : इन परियोजनाओं के निष्पादन के लिए व्यय नहीं किया गया है।

(ड.)और(च): भूमि बैंक अध्ययन प्रगति पर है। तथापि, प्रारंभिक अध्ययन से यह इंगित होता है कि प्रथम चरण में परिकल्पित परियोजना विस्तार के लिए भूमि उपलब्ध है।

(छ)और(ज): नए सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (पीएसई) नीति का आशय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (पीएसई) में सरकार कीभूमिका को कम करना है। निजी क्षेत्र के लिए निवेश के नए अवसर उपलब्ध कराना ताकि निजी पूंजी, प्रौद्योगिकी, नवाचार और सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन पद्धितियों का संचार हो सके, सार्वजनिक क्षेत्र को विनिवेश के लिए चिन्हित किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र काअधिग्रहण करने/बोली लगाने की अनुमति देने से उद्देश्य विफल हो जाएगा।

अत: सेल के लिए आरआईएनएल का अधिग्रहण करने संबंधी बोली में भाग लेना संभव नहीं है।

***